ITD0512202500001

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय : राजस्व विभाग / Ministry of Finance : Department of Revenue
आयकर आयुक्त (टी.डी.एस.) का कार्यालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX (TDS), NER
आयकर भवन, क्रिश्चियन बस्ती ,जी.एस.रोड, गुवाहाटी/Aayakar Bhawan, Christian Basti, G. S. Road, Guwahati-05
दूरभाष /फैक्स नं/ Tel./Fax No. 0361 – 2343763, e-mail id: guwahati.cit.tds@incometax.gov.in

फा .सं F.No. M-13/CIT(TDS)/NER/GHY/2025-26/ 2592 दिनांक/ Dated : 27.11.2025

सेवा मे/To,
The Pr. Commissioner of Income Tax,
(CPC-TDS)
Aayakar Bhawan, Sector -3,
Vaishali, Ghaziabad – 201010

ITD = OT
PSCST Admin = Taxpayer
DB

[Kind attention: The JCIT(OSD), CPC-TDS, Vaishali]

महोदया,

विषय/Sub: **Request for uploading Order u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961 dated 26.11.2025 passed by the Pr.CCIT, NER, Guwahati** – reg.

Kindly refer to the above mentioned subject.

2. I am directed to inform that the DCIT(Tech), O/o the Pr.CCIT, NER, Guwahati has requested this office to upload **Order u/s 17(2)** of the Income Tax Act, 1961 dated **26.11.2025** passed by the Pr.CCIT, NER, Guwahati in the following cases in **TRACES portal**:

Sl.No.	Letter No.	Name of the assessee & PAN	Date of Order
1	No.A-11/Pt.214/Pr.CCIT(NER) /Ghy/Tech/2025-26/16402 dated 26.11.2025	**M/s Swagat Hospital & Research Centre** (PAN : AAHCS1587Q) T/S Dr. C.M. Das Path, Bongaigaon, Assam - 783380	26.11.2025
2	No.A-11/Pt.102/Pr.CCIT(NER) /Ghy/Tech/2019-20/16478 dated 26.11.2025	**M/s Sun Valley Hospital** (PAN : AAHCS1837R) G. S Road, Purbanchal Path, Guwahati, Assam – 781006	26.11.2025
3	No.A-11/Pt.216/Pr.CCIT(NER) /Ghy/Tech/2025-26/16555 dated 26.11.2025	**M/s Chandraprabha Eye Hospital** (PAN : AACCC5530C) K. K. Handique Path, Jorhat, Assam - 785001	26.11.2025
4	No.A-11/Pt.220/Pr.CCIT(NER) /Ghy/Tech/2024-25/16631 dated 26.11.2025	**M/s Nemcare Hospital, Tezpur Pvt. Ltd.** (PAN : AAFCN2839J) Ranu Singh Road, P.O : Tezpur, Dist : Sonitpur, Assam - 784001	26.11.2025

I0512202500001 ITD

Contd. to pg.2

3. I am therefore, directed to forward herewith copy of the aforesaid orders with a request to kindly upload the same in **TRACES Portal**.

भवदीय/ Yours faithfully,

Encl: As stated above.

(शशि शंकर /Shashi Shankar)
आयकर अधिकारी (टी॰ डी॰ एस) , तकनीकी Income Tax Officer (TDS),Technical
कृते आयकर आयुक्त (टी॰ डी॰ एस॰) , पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी
for Commissioner of Income Tax (TDS), NER, Guwahati

Memo. No. M-13/CIT(TDS)/NER/GHY/2025-26/ दिनांक/ Dated : 27.11.2025

Copy forwarded for kind information to :

1. The Deputy Commissioner of Income Tax (Tech), O/o the Pr.CCIT, NER, Guwahati.

-Sd-
(शशि शंकर /Shashi Shankar)
आयकर अधिकारी (टी॰ डी॰ एस) , तकनीकी Income Tax Officer (TDS),Technical
कृते आयकर आयुक्त (टी॰ डी॰ एस॰) , पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी
for Commissioner of Income Tax (TDS), NER, Guwahati

भारतसरकार: वित्तमंत्रालय: राजस्वविभाग
GOVERNMENT OF INDIA: MINISTRY OF FINANCE : DEPARTMENT OF REVENUE
प्रधानमुख्यआयकरआयुक्त, पूर्वोत्तरक्षेत्र, गुवाहाटीकाकार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, NER, GUWAHATI
द्वितल, आयकरभवन, क्रिश्चियनबस्ती, जी.एस. रोड, गुवाहाटी-७८१००५
2ND FLOOR, AAYAKAR BHAWAN, CHRISTIANBASTI, G.S. ROAD, GUWAHATI
TELEPHONE: 0361-2320112, Fax: 0361-2345118, 0361-2347598
e-mail: guwahati.dcit.tech.pccit@incometax.gov.in

RECEIVED
Sl. 1336
26 NOV 2025
Commissioner of Income Tax, TDS

फाइल सं. A-11/Pt.214/Pr.CCIT(NER)/Ghy/Tech/2025-26/16367-401 दिनांक- 26.11.2025
DIN :

सेवा में,

भारत के सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
भारत के सभी मुख्य आयकर आयुक्त
मुख्य आयकर आयुक्त, शिलांग
पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी प्रधान आयकर आयुक्त

आदरणीय महोदया/महोदय,

विषय: " मेसर्स स्वागत हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर", डॉ. सी.एम.दास पथ, बोंगाईगांव, असम- 783380 (PAN:AAHCS1587Q) के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)] के परंतुक के खंड (ii) के उप खंड (बी) के तहत पंजीकरण के नवीकरण के लिए अनुमोदन – के सूचनार्थ – के संबंध में

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ लें।

सूचित किया जाता है कि " " मेसर्स स्वागत हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर", डॉ. सी.एम.दास पथ, बोंगाईगांव, असम- 783380 (PAN:AAHCS1587Q) के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)]के परंतुक के खंड (ii) के उप-खंड (बी) के तहत पंजीकरण के लिए अनुमोदन 12/05/2025 से प्रभावी है और 11/05/2027 तक प्रभावी रहेगा। यह अनुमोदन इस तरह के अनुमोदन और ऐसे संशोधनों के लिए आवश्यक नियम 3ए (1) के तहत वैधानिक शर्तों के अस्पताल के निरंतर अनुपालन के अधीन है।

इसकी एक प्रति आप के सूचनार्थ हेतु संलग्न कि जा रही है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय

(सुमित पुरकायस्थ)
आयकर उप आयुक्त (तकनीकी)
कृते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र,
गुवाहाटी

आ. अधि.(मुख्या.)/ITO (HQR)
आ अधि (तकनीकी) /ITO (Tech)
निजी सचिव /P.S.
प्र. अधिकारी /A.O.
कार्य अधीक्षक /O.S.
आयकर निरीक्षक /IIT
वरिष्ठ कर सहायक/कर सहायक/STA/TA
आशुलिपिक /Stenographer
आवश्यक कार्यवाही करें
26/11/25

4

मेमो नंबर: A-11/Pt.214/Pr.CCIT(NER)/Ghy/Tech/2025-26/16402 दिनांक- 26.11.2025

प्रतिलिपि:

आयकर आयुक्त (टीडीएस), एनईआर, गुवाहाटी को इस अनुरोध के साथ प्रति भेजी जा रही है कि कृपया आदेश की प्रति ट्रेसेज़ पोर्टल पर अपलोड करें।

(सुमित पुरकायस्थ)
आयकर उप आयुक्त (तकनीकी)
कृते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र,
गुवाहाटी

भारतसरकार: वित्तमंत्रालय: राजस्वविभाग
GOVERNMENT OF INDIA : MINISTRY OF FINANCE : DEPARTMENT OF REVENUE
प्रधानमुख्यआयकरआयुक्त, पूर्वोत्तरक्षेत्र, गुवाहाटीकाकार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, NER, GUWAHATI
द्वीतल, आयकरभवन, क्रिश्चियनबस्ती, जी.एस. रोड, गुवाहाटी– ७८१००५
2ND FLOOR, AAYAKAR BHAWAN, CHRISTIANBASTI, G.S. ROAD, GUWAHATI – 781 005
TELEPHONE: 0361-2320112, Fax: 0361-2345118, 0361-2347596
e-mail: guwahati.dcit.tech.pccit@incometax.gov.in

DIN & Document No: ITBA/COM/M/17/2025-26/1083010163(1)........ Date: 26-11-2025

सेवा में/To,

मेसर्स स्वागत हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (PAN:AAHCS1587Q)
डॉ. सी.एम.दास पथ, बोंगाईगांव, असम- 783380.
M/s Swagat Hospital & Research Centre (PAN:AAHCS1587Q)
Dr. C.M.Das Path, Bongaigaon, Assam- 783380.

विषय/Sub: – आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के उप-खंड (viii) के प्रावधान के खंड (ii) के उप-खंड (बी) के प्रयोजन के लिए अस्पताल के पंजीकरण के नवीकरण के लिए अनुमोदन "मेसर्स स्वागत अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, (पैन: AAHCS1587Q), डॉ सी.एम.दास पथ, बोंगईगांव, असम-783380 - के मामले में/ Approval for renewal of registration of hospital for the purpose of sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-clause(viii) of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961 in the case of "M/s Swagat Hospital & Research Centre, (PAN:AAHCS1587Q), Dr. C.M.Das Path, Bongaigaon, Assam-783380- reg.

<u>आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(2) के अधीन आदेश</u>

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (viii) के प्रावधान के खंड (ii) के उपखंड (बी) के तहत प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, एक अस्पताल को अनुमोदन प्रदान करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए(1) और 3ए(2) में निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के प्रावधान के खंड (ii) के उक्त उपखंड (बी) के प्रयोजनों के लिए "मेसर्स स्वागत हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (पैन: AAHCS1587Q), डॉ. सी.एम.दास पथ, बोंगईगांव, असम-783380 को अनुमोदन प्रदान करता हूँ।/ In exercise of the powers conferred on the Principal Chief Commissioner of Income Tax under sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to [sub-clause (viii) of] of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961, I, the Principal Chief Commissioner of Income Tax, North Eastern Region hereby having regard to the guidelines prescribed in Rule 3A(1) & 3A(2) of the Income Tax Rules, 1962 for the grant of approval to a hospital, grant approval to "M/s Swagat Hospital & Research Centre (PAN: AAHCS1587Q), Dr. C.M.Das Path, Bongaigaon, Assam-783380 for the purposes of the said sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to [sub-clause (viii) of] the clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961.

2. यह अनुमोदन केवल नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई किसी राशि के संबंध में लागू है, आयकर नियम 1962 के नियम 3ए(2) में उल्लिखित निम्नलिखित निर्धारित बीमारियों या व्याधियों के संबंध में कर्मचारी द्वारा अपने चिकित्सा उपचार या

आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र का कार्यालय Pr. Chief Commissioner of Income Tax N.E.R. Guwahati

अपने परिवार के किसी सदस्य के उपचार पर वास्तव में किए गए किसी व्यय के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15, 16 और 17 के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी के हाथों में एक अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाएगा/ The approval is applicable only in relation to any sum paid by an employer, in respect of any expenditure actually incurred by the employee on his medical treatment or treatment of any member of his family in the above mentioned hospital in respect of the following prescribed diseases or ailments as mentioned in Rule 3A(2) of the Income Tax Rules 1962, shall not be treated as a perquisite in the hands of the employee for the purposes of section 15, 16 & 17 of the Income Tax Act, 1961 as under :-

(a) क्षय रोग/Tuberculosis
(b) अर्जित प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम /Acquired immunity deficiency syndrome
(c) हृदय, रक्त, लसीका ग्रंथिका, अस्थिमज्जा, श्वसन प्रणाली, स्नायु संबंधी प्रणाली, मूत्र प्रणाली, यकृत, पित्ताशय, पाचक प्रणाली, अंत:स्रावी ग्रंथिका या त्वचा संबंधी रोग या व्याधि, जिनमें सर्जिकल आपरेशन की आवश्यकता हो / disease or ailment of the heart, blood, lymph glands, bone marrow, respiratory system, central nervous system, urinary system, liver, gall bladder, digestive system, endocrine glands or the skin, requiring surgical operation;
(d) आंख, कान, नाक या गला संबंधी व्याधि या रोग जिनमें सर्जिकल आपरेशन की आवश्यकता हो /Ailment or disease of the eye, ear, nose or throat, requiring surgical operation;
(e) अस्थिपंजर प्रणाली के किसी भाग में फ्रैक्चर या मेरुदंड की गड़बड़ी जिसके लिए सर्जिकल आपरेशन या आर्थोपेडिक्स उपचार की आवश्यकता हो / Fracture in any part of the skeletal system or dislocation of vertebrae requiring surgical operation or orthopedic treatment;
(f) ऊपर वर्णित अंगों की बीमारी या रोग (c) जिसके लिए कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो Ailment or disease of the organs mentioned at (c) requiring medical treatment in hospital for at least three continuous days.
(g) जलने से होने वाली चोटें जिनके लिए कम से कम तीन दिन तक लगातार अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो/Burn injuries requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.
(h) इंसुलिन शॉक, दवा प्रतिक्रिया और अन्य एलर्जी अभिव्यक्तियों सहित एनाफिलेक्टिक शॉक, जिसके लिए कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है Anaphylactic shocks including insulin shocks, drug reactions and other allergies manifestations requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.
(i) स्त्री रोग या प्रासविक रोग या व्याधि जिसमें कम-से-कम तीन लगातार दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो / Gynecological or obstetric ailment or disease requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र का कार्यालय
O/o the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, N.E.R. Guwahati

3. यह अनुमोदन किसी भी समय वापस लिया जा सकता है यदि यह पाया जाता है कि अनुमोदन धोखाधड़ी और/या तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्राप्त किया गया है या आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए के उप-नियम (1) में निर्धारित आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की गई हैं और अनुमोदन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में बाद में परिवर्तन के कारण आवश्यक होने पर संशोधन/वापसी के अधीन है / This approval is subject to withdrawal at any time if it is found that the approval has been obtained through fraud and/or misrepresentation of facts or necessary conditions as stipulated in sub-rule (1) of Rule 3A of the Income Tax Rule, 1962 are not fulfilled and is subject to modification/withdrawal, if necessitated by subsequent changes in the provisions governing the approval.

4. यह अनुमोदन केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड 2 के उपखंड (viii) के प्रावधान के खंड (ii) के उपखंड (बी) के प्रयोजन के लिए है और इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, एनईआर, गुवाहाटी या सरकार के तहत किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के अनुमोदन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए /The approval is only for the purpose of sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to [sub-clause (viii) of] clause 2 section 17 of the Income Tax Act, 1961 and should not be construed as approval of the central Government or the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati or any other statutory authority under the Government, for any other purpose.

5. यह अनुमोदन 12.05.2025 से प्रभावी होगा और 11.05.2027 तक लागू रहेगा। यह अनुमोदन अस्पताल द्वारा नियम 3ए(1) के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक शर्तों का निरंतर अनुपालन और आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमोदन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में किसी भी संशोधन के कारण आवश्यक संशोधनों के अधीन है/ This approval **takes effect from 12.05.2025 and shall remain in force till 11.05.2027**. This approval is subject to the hospital's continued compliance with the statutory conditions under Rule 3A(1) necessary for such approval and such modifications as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under Income Tax Act, 1961.

6. अनुमोदन का यह आदेश निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है / This order of the approval is subject to the following terms and conditions:

a) यह अनुमोदन हस्तांतरणीय नहीं है और यह केवल इस आदेश के पैरा संख्या 1 में उल्लिखित अस्पताल के अधीनस्थ परिसर पर लागू होता है / This approval is not transferable and is applicable only to the premises occupied by the hospital as mentioned in para 1 of this order.

b) अस्पताल आयकर विभाग के ऐसे अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए सभी उचित समय पर खुला रहेगा जो इस संबंध में विधिवत अधिकृत हैं /The hospital shall at all reasonable times be open for inspection by such officer of the Income Tax Department as are duly authorized in this behalf.

c) अस्पताल ऐसी शर्तों के अनुरूप होगा जो आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए (1) और 3ए (2) में निर्धारित हैं। यदि अस्पताल कानून द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो यह अस्पताल की ओर से अनिवार्य है कि वह इस अनुमोदन को जारी करने वाले प्राधिकारी को तुरंत इस तरह के तथ्य से अवगत कराए/The hospital shall conform to such conditions as are prescribed in Rule 3A (1) & 3A(2) of the Income

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र का कार्यालय
O/o the Pr. Chief Commissioner of Income Tax
N.E.R.
Guwahati

8

Tax Rules, 1962. In the event the hospital ceases to satisfy any of the conditions prescribed by law, it will be mandatory on the part of the Hospital to intimate such fact immediately the authority issuing this approval.

d) वर्तमान अनुमोदन के समाप्ति से कम से कम 60 दिन पहले अनुमोदन के नवीकरण से संबन्धित आवेदन जमा किया जाना अनिवार्य है/The application for renewal of approval should be submitted at least sixty (60) days before the expiry of current approval.

7. The DIN intimation is enclosed with the letter.

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र का कार्यालय / O/o the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, N.E.R. Guwahati

Sd/-

(सुरभि वर्मा गर्ग/Surabhi Varma Garg)
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाट
Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER,
Guwahati.

Momo No: A-11/Pt.214/Pr.CCIT(NER)/Ghy/Tech/2025-26/16403-42 Dated : 26.11.2025

Copy for information:

1. All the Principal Chief Commissioners of Income Tax of India.
2. All the Chief Commissioners of Income Tax of India
3. The Director General (Inv.), WB & Sikkim and NER
4. The Principal Commissioners of Income Tax, Guwahati/ Shillong
5. The DD(OL) for Hindi Version.
6. The Commissioner of Income Tax, TDS, Guwahati, with the request to upload the copy of the order to the TRACES portal.

(सुमितपुरकायस्थ/ Sumit Purkayastha)
आयकरउपआयुक्त (तकनीकी) / Deputy Commissioner of Income Tax (Tech)
कृतेप्रधानमुख्यआयकरआयुक्त,पूर्वोत्तरक्षेत्र,गुवाहटी
For Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati.

9

भारतसरकार: वित्तमंत्रालय: राजस्वविभाग
GOVERNMENT OF INDIA: MINISTRY OF FINANCE : DEPARTMENT OF REVENUE
प्रधानमुख्यआयकरआयुक्त, पूर्वोत्तरक्षेत्र, गुवाहाटीकाकार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUWAHATI
द्वितल, आयकरभवन, क्रिश्चियनबस्ती, जी.एस. रोड, गुवाहाटी- ७८१००५
2ND FLOOR, AAYAKAR BHAWAN, CHRISTIANBASTI, G.S. ROAD, GUWAHATI – 781 005
TELEPHONE: 0361-2320112, Fax: 0361-2345118, 0361-2347596
e-mail: guwahati.dcit.tech.pccit@incometax.gov.in

RECEIVED
Sl. 1335
26 NOV 2025

फाइल सं. A-11/Pt.102/Pr.CCIT(NER)/Ghy/Tech/2019-20/16443-77 दिनांक 26.11.2025
DIN :
सेवा में,

भारत के सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
भारत के सभी मुख्य आयकर आयुक्त
मुख्य आयकर आयुक्त, शिलांग
पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी प्रधान आयकर आयुक्त

आदरणीय महोदया/महोदय,

विषय: " मेसर्स सन वैली अस्पताल [PAN: AAHCS1837R], जी.एस. रोड, पूर्वांचल पथ, गुवाहाटी, असम- 781006 के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)] के परंतुक के खंड (ii) के उप खंड (बी) के तहत पंजीकरण के नवीकरण के लिए अनुमोदन – के सूचनार्थ – के संबंध में

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ लें।

सूचित किया जाता है कि " मेसर्स सन वैली अस्पताल [PAN: AAHCS1837R], जी.एस. रोड, पूर्वांचल पथ, गुवाहाटी, असम- 781006 के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)]के परंतुक के खंड (ii) के उप-खंड (बी) के तहत पंजीकरण के लिए अनुमोदन 25/11/2025 से प्रभावी है और 24/11/2027 तक प्रभावी रहेगा। यह अनुमोदन इस तरह के अनुमोदन और ऐसे संशोधनों के लिए आवश्यक नियम 3ए (1) के तहत वैधानिक शर्तों के अस्पताल के निरंतर अनुपालन के अधीन है।

इसकी एक प्रति आप के सूचनार्थ हेतु संलग्न कि जा रही है।

भवदीय

(सुमित पुरकायस्थ)
आयकर उप आयुक्त (तकनीकी)
कृते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र,
गुवाहाटी

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

आ. अधि. (मुख्या.) /ITO, (HQR)
आ. अधि. (तकनीकी) /ITO, (Tech)
निजी सचिव /P.S.
प्र. अधिकारी /A.O.
कार्य अधीक्षक /O.S.
आयकर निरीक्षक /ITI
वरिष्ठ कर सहायक/कर सहायक/STA/TA
आशुलिपिक /Stenographer
आवश्यक कार्यवाही करें
26/11/25

10

मेमो नंबर: A-11/Pt.102/Pr.CCIT(NER)/Ghy/Tech/2019-20/ 16478 दिनांक- 26.11.2025

प्रतिलिपि:

आयकर आयुक्त (टीडीएस), एनईआर, गुवाहाटी को इस अनुरोध के साथ प्रति भेजी जा रही है कि कृपया आदेश की प्रति ट्रेसेज़ पोर्टल पर अपलोड करें।

(सुमित पुरकायस्थ)
आयकर उप आयुक्त (तकनीकी)
कृते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र,
गुवाहाटी

11

भारतसरकार: वित्तमंत्रालय: राजस्वविभाग
GOVERNMENT OF INDIA : MINISTRY OF FINANCE : DEPARTMENT OF REVENUE
प्रधानमुख्यआयकरआयुक्त, पूर्वोत्तरक्षेत्र, गुवाहाटीकाकार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, NER, GUWAHATI
द्वीतल, आयकरभवन, क्रिश्चियनबस्ती, जी.एस. रोड, गुवाहाटी– ७८१००५
2ND FLOOR, AAYAKAR BHAWAN, CHRISTIANBASTI, G.S. ROAD, GUWAHATI – 781 005
TELEPHONE: 0361-2320112, Fax: 0361-2345118, 0361-2347596
e-mail: guwahati.dcit.tech.pccit@incometax.gov.in

DIN & Document No: ITBA/COMM/17/2025-26/1083010638(1) Date: 26.11.2025

सेवा में/To,

मेसर्स सन वैली अस्पताल [PAN: AAHCS1837R],
जी.एस. रोड, पूर्वांचल पथ, गुवाहाटी, असम- 781006
M/s Sun Valley Hospital [PAN: AAHCS1837R],
G.S Road, Purbanchal Path, Guwahati, Assam- 781006.

विषय/Sub: "– आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के उप-खंड (viii) के प्रावधान के खड (ii) के उप-खंड (बी) के प्रयोजन के लिए "मैसर्स सन वैली हॉस्पिटल", [पैन: एएएचसीएस1837आर], जी.एस रोड, पूर्वांचल पथ, गुवाहाटी, असम- 781006-रेग के मामले में अस्पताल के पंजीकरण के लिए अनुमोदन / Approval for registration of hospital for the purpose of sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-clause(viii) of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961 in the case of "M/s Sun Valley Hospital", [PAN: AAHCS1837R], G.S Road, Purbanchal Path, Guwahati, Assam- 781006 -reg.

आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(2) के अधीन आदेश

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (viii) के प्रावधान के खंड (ii) के उपखंड (बी) के तहत प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, एक अस्पताल को अनुमोदन प्रदान करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए(1) और 3ए(2) में निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खड (2) के प्रावधान के खड (ii) के उक्त उपखंड (बी) के प्रयोजनों के लिए "मेसर्स सन वैली हॉस्पिटल", [पैन: एएएचसीएस1837आर], जी.एस रोड, पूर्वांचल पथ, गुवाहाटी, असम- 781006" को अनुमोदन प्रदान करता हूं /In exercise of the powers conferred on the Principal Chief Commissioner of Income Tax under sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to [sub-clause (viii) of] of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961, I, the Principal Chief Commissioner of Income Tax, North Eastern Region hereby having regard to the guidelines prescribed in Rule 3A(1) & 3A(2) of the Income Tax Rules, 1962 for the grant of approval to a hospital, grant approval to **"M/s Sun Valley Hospital", [PAN: AAHCS1837R], G.S Road, Purbanchal Path, Guwahati, Assam- 781006"** for the purposes of the said sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to [sub-clause (viii) of] the clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961.

O/o the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, N.E.R. Guwahati
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र का कार्यालय

2. यह अनुमोदन केवल नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई किसी राशि के संबंध में लागू है, आयकर नियम 1962 के नियम 3ए(2) में उल्लिखित निम्नलिखित निर्धारित बीमारियों या व्याधियों के संबंध में कर्मचारी द्वारा अपने चिकित्सा उपचार या अपने परिवार के किसी सदस्य के उपचार पर वास्तव में किए गए किसी व्यय के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15, 16 और 17 के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी के हाथों में एक अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाएगा/ The approval is applicable only in relation to any sum paid by an employer, in respect of any expenditure actually incurred by the employee on his medical treatment or treatment of any member of his family in the above mentioned hospital in respect of the following prescribed diseases or ailments as mentioned in Rule 3A(2) of the Income Tax Rules 1962, shall not be treated as a perquisite in the hands of the employee for the purposes of section 15, 16 & 17 of the Income Tax Act, 1961 as under :-

(a) कैंसर /Cancer
(b) क्षय रोग / Tuberculosis
(c) एक्वायर्ड इम्युनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम / Acquired Immunity deficiency Syndrome
(d) हृदय, रक्त, लसीका ग्रंथिका, अस्थिमज्जा, श्वसन प्रणाली, स्नायु संबंधी प्रणाली, मूत्र प्रणाली, यकृत, पित्ताशय, पाचक प्रणाली, अंत:स्रावी ग्रंथिका या त्वचा संबंधी रोग या व्याधि, जिनमें सर्जिकल आपरेशन की आवश्यकता हो / disease or ailment of the heart, blood, lymph glands, bone marrow, respiratory system, central nervous system, urinary system, liver, gall bladder, digestive system, endocrine glands or the skin, requiring surgical operation;
(e) आंख, कान, नाक या गला संबंधी व्याधि या रोग जिनमें सर्जिकल आपरेशन की आवश्यकता हो /Ailment or disease of the eye, ear, nose or throat, requiring surgical operation;
(f) अस्थिपंजर प्रणाली के किसी भाग में फ्रैक्चर या मेरुदंड की गड़बड़ी जिसके लिए सर्जिकल आपरेशन या आर्थोपेडिक्स उपचार की आवश्यकता हो / Fracture in any part of the skeletal system or dislocation of vertebrae requiring surgical operation or orthopedic treatment;
(g) ऊपर (*d*) में वर्णित आर्गन्स संबंधी व्याधि या रोग जिसमें कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो / Ailment or disease of the organs mentioned at (d), requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
(h) जलने से होने वाली चोटें जिनके लिए कम से कम तीन दिन तक लगातार अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो /Burn injuries requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
(i) मानसिक विकार विक्षिप्त या मनोविकृति जिसके लिए कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है /Mental disorder neurotic or psychotic requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
(j) नशीली दवाओं की लत जिसके लिए कम से कम सात दिनों तक लगातार अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो /Drug addiction requiring medical treatment in a hospital for at least seven continuous days;
(k) एनाफाइलेक्टिक शाक्स, जिनमें इन्स्युलिन शाक्य, औषधि प्रतिघात और अन्य एलर्जिक संकेत भी हैं, जिनमें कम से कम लगातार तीन दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो/ Anaphylactic shocks including insulin shocks, drug reactions and other allergic manifestations requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र का कार्यालय
O/o the Pr. Chief Commissioner of Income Tax
N.E.R.
Guwahati

3. यह अनुमोदन किसी भी समय वापस लिया जा सकता है यदि यह पाया जाता है कि अनुमोदन धोखाधड़ी और/या तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्राप्त किया गया है या आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए के उप-नियम (1) में निर्धारित आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की गई हैं और अनुमोदन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में बाद में परिवर्तन के कारण आवश्यक होने पर संशोधन/वापसी के अधीन है / This approval is subject to withdrawal at any time if it is found that the approval has been obtained through fraud and/or misrepresentation of facts or necessary conditions as stipulated in sub-rule (1) of Rule 3A of the Income Tax Rule, 1962 are not fulfilled and is subject to modification/withdrawal, if necessitated by subsequent changes in the provisions governing the approval.

4. यह अनुमोदन केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड 2 के उपखंड (viii) के प्रावधान के खंड (ii) के उपखंड (बी) के प्रयोजन के लिए है और इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, एनईआर, गुवाहाटी या सरकार के तहत किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के अनुमोदन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए /The approval is only for the purpose of sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to [sub-clause (viii) of] clause 2 section 17 of the Income Tax Act, 1961 and should not be construed as approval of the central Government or the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati or any other statutory authority under the Government, for any other purpose.

5. यह अनुमोदन 25/11/2025 से प्रभावी होगा और 24/11/2027 तक लागू रहेगा। यह अनुमोदन अस्पताल द्वारा नियम 3ए(1) के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक शर्तों के निरंतर अनुपालन और आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमोदन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में किसी भी संशोधन के कारण आवश्यक संशोधनों के अधीन है / This approval **takes effect from 25/11/2025 and shall remain in force till 24/11/2027**. This approval is subject to the hospital's continued compliance with the statutory conditions under Rule 3A(1) necessary for such approval and such modifications as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under Income Tax Act, 1961.

6. अनुमोदन का यह आदेश निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है /This order of the approval is subject to the following terms and conditions:

a) यह अनुमोदन हस्तांतरणीय नहीं है और यह केवल इस आदेश के पैरा संख्या 1 में उल्लिखित अस्पताल के अधीनस्थ परिसर पर लागू होता है / This approval is not transferable and is applicable only to the premises occupied by the hospital as mentioned in para 1 of this order.

b) अस्पताल आयकर विभाग के ऐसे अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए सभी उचित समय पर खुला रहेगा जो इस संबंध में विधिवत अधिकृत हैं /The hospital shall at all reasonable times be open for inspection by such officer of the Income Tax Department as are duly authorized in this behalf.

c) अस्पताल ऐसी शर्तों के अनुरूप होगा जो आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए (1) और 3ए (2) में निर्धारित हैं। यदि अस्पताल कानून द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो यह अस्पताल की ओर से अनिवार्य है कि वह इस अनुमोदन को जारी करने वाले प्राधिकारी को तुरंत इस तरह के तथ्य से अवगत कराए/The hospital shall conform to such conditions as are prescribed in Rule 3A (1) & 3A(2) of the Income Tax Rules, 1962. In the event the hospital ceases to satisfy any of the conditions prescribed by law, it will be mandatory on the part of the Hospital to intimate such fact immediately the authority issuing this approval.

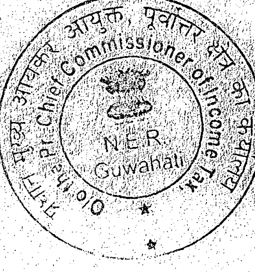

d) वर्तमान अनुमोदन के समाप्ति से कम से कम 60 दिन पहले अनुमोदन के नवीकरण से संबन्धित आवेदन जमा किया जाना अनिवार्य है/The application for renewal of approval should be submitted at least sixty (60) days before the expiry of current approval.

7. The DIN Intimation is enclosed with the letter.

O/o the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, N.E.R. Guwahati

Sd/-

सुरभि वर्मा गर्ग/Surabhi Varma Garg)
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी
Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati

Memo No. A-11/pt-102/Pr.CCIT(NER)/Ghy/Tech.2019-20/ 16479-519 Dated: 26.11.2025

Copy for information to :-
1. All the Principal Chief Commissioners of Income Tax of India.
2. All the Chief Commissioners of Income Tax of India.
3. The Director General (Inv.)WB, Sikkim and NER.
4. The Principal Commissioners of Income Tax, Guwahati/Shillong
5. The DD(OL) for Hindi Version.
6. The Commissioner of Income Tax(TDS), Guwahati with the request to upload the copy of the order to To the TRACES portal.

(Sumit Purkayastha)
Deputy Commissioner of Income Tax.Tech,
O/o the Pr. Chief Commissioner of Income Tax,
NER, Guwahati.

15

भारतसरकार: वित्तमंत्रालय: राजस्वविभाग
GOVERNMENT OF INDIA: MINISTRY OF FINANCE : DEPARTMENT OF REVENUE
प्रधानमुख्यआयकरआयुक्त, पूर्वोत्तरक्षेत्र, गुवाहाटीकाकार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, NER, GUWAHATI
द्वितल, आयकरभवन, क्रिश्चियनबस्ती, जी.एस. रोड, गुवाहाटी– ७८१००५
2ND FLOOR, AAYAKAR BHAWAN, CHRISTIANBASTI, G.S. ROAD, GUWAHATI
TELEPHONE: 0361-2320112, Fax: 0361-2345118, 0361-2347595
e-mail: guwahati.dcit.tech.pccit@incometax.gov.in

RECEIVED
SL 1334
26 NOV 2025
Commissioner of Income Tax, TDS
गुवाहाटी/Guwahati

फाइल सं. A-11/Pt.216/Pr.CCIT(NER)/Ghy/Tech/2025-26/16520-54 दिनांक- 26.11.2025
DIN :
सेवा में,

भारत के सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
भारत के सभी मुख्य आयकर आयुक्त
मुख्य आयकर आयुक्त, शिलांग
पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी प्रधान आयकर आयुक्त

आदरणीय महोदया/महोदय,

विषय: **" मेसर्स चंद्रप्रभा आई हॉस्पिटल (PAN:AACCC5530C) के.के. हांडिक पथ, जोरहाट, असम- 785001 के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)] के परंतुक के खंड (ii) के उप खंड (बी) के तहत पंजीकरण के नवीकरण के लिए अनुमोदन – के सूचनार्थ – के संबंध में**

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ लें।

सूचित किया जाता है कि **" मेसर्स चंद्रप्रभा आई हॉस्पिटल (PAN:AACCC5530C) के.के. हांडिक पथ, जोरहाट, असम- 785001** के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)]के परंतुक के खड (ii) के उप-खंड (बी) के तहत पंजीकरण के लिए अनुमोदन 29/07/2025 से प्रभावी है और 28/07/2027 तक प्रभावी रहेगा। यह अनुमोदन इस तरह के अनुमोदन और ऐसे संशोधनों के लिए आवश्यक नियम 3ए (1) के तहत वैधानिक शर्तों के अस्पताल के निरंतर अनुपालन के अधीन है।

इसकी एक प्रति आप के सूचनार्थ हेतु संलग्न कि जा रही है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय

(सुमित पुरकायस्थ)
आयकर उप आयुक्त (तकनीकी)
कृते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र,
गुवाहाटी

आ. अधि (मुख्या)/ITO, (HQR)
आ. अधि (तकनीकी) /ITO, (Tech)
निजी सचिव /P.S.
प्र. अधिकारी /A.O.
कार्य अधीक्षक /O.S.
आयकर निरीक्षक /IIT
वरिष्ठ कर सहायक/कर सहायक/STA/TA
आशुलिपिक /Stenographer
आवश्यक कार्यवाही करें

27/11/25

16

मेमो नंबर: . A-11/Pt.216/Pr.CCIT(NER)/Ghy/Tech/2025-26/16555 दिनांक-26.11.2025

प्रतिलिपि:

आयकर आयुक्त (टीडीएस), एनईआर, गुवाहाटी को इस अनुरोध के साथ प्रति भेजी जा रही है कि कृपया आदेश की प्रति ट्रेसेज़ पोर्टल पर अपलोड करें।

सुमित पुरकायस्थ)
आयकर उप आयुक्त (तकनीकी)
कृते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र,
गुवाहाटी

17

भारतसरकार: वित्तमंत्रालय: राजस्वविभाग

GOVERNMENT OF INDIA : MINISTRY OF FINANCE : DEPARTMENT OF REVENUE

प्रधानमुख्यआयकरआयुक्त, पूर्वोत्तरक्षेत्र, गुवाहाटीकाकार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, NER, GUWAHATI

द्वीतल, आयकरभवन, क्रिश्चियनबस्ती, जी.एस. रोड, गुवाहाटी– ७८१००५

2ND FLOOR, AAYAKAR BHAWAN, CHRISTIANBASTI, G.S. ROAD, GUWAHATI – 781 005

TELEPHONE: 0361-2320112, Fax: 0361-2345118, 0361-2347596

e-mail: guwahati.dcit.tech.pccit@incometax.gov.in

DIN & Document No: ITBA/Com/M/17/2025-26/1083011176(1)........ Date: 26.11.2025

सेवा में/To,

मेसर्स चंद्रप्रभा आई हॉस्पिटल (PAN:AACCC5530C)
के.के. हांडिक पथ, जोरहाट, असम- 785001
M/s Chandraprabha Eye Hospital (PAN:AACCC5530C)
K.K. Handique Path, Jorhat, Assam- 785001.

विषय/Sub: "– आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के उप-खंड (viii) के प्रावधान के खंड (ii) के उप-खंड (बी) के प्रयोजन के लिए अस्पताल के पंजीकरण के नवीकरण के लिए अनुमोदन, मेसर्स चंद्रप्रभा नेत्र अस्पताल, (पैन: AACCC5530C), के.के. हांडिक पथ, जोरहाट, असम- 784001- के मामले में/ Approval for renewal of registration of hospital for the purpose of sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-clause(viii) of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961 in the case of "M/s Chandraprabha Eye Hospital, (PAN:AACCC5530C), K.K. Handique Path, Jorhat, Assam- 784001- reg.

आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(2) के अधीन आदेश

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (viii) के प्रावधान के खंड (ii) के उपखंड (बी) के तहत प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, एक अस्पताल को अनुमोदन प्रदान करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए(1) और 3ए(2) में निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खड (2) के प्रावधान के खंड (ii) के उक्त उपखंड (बी) के प्रयोजनों के लिए "मेसर्स चंद्रप्रभा आई हॉस्पिटल (पैन: AACCC5530C), के.के. हांडिक पथ, जोरहाट, असम- 784001 को अनुमोदन प्रदान करता हूँ/ In exercise of the powers conferred on the Principal Chief Commissioner of Income Tax under sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to [sub-clause (viii) of] of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961, I, the Principal Chief Commissioner of Income Tax, North Eastern Region hereby having regard to the guidelines prescribed in Rule 3A(1) & 3A(2) of the Income Tax Rules, 1962 for the grant of approval to a hospital, grant approval to "M/s Chandraprabha Eye Hospital (PAN: AACCC5530C), K.K. Handique Path, Jorhat, Assam- 784001for the purposes of the said sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to [sub-clause (viii) of] the clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961.

2. यह अनुमोदन केवल नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई किसी राशि के संबंध में लागू है, आयकर नियम 1962 के नियम 3ए(2) में उल्लिखित निम्नलिखित निर्धारित बीमारियों या व्याधियों के संबंध में कर्मचारी द्वारा अपने चिकित्सा उपचार या

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र का कार्यालय / O/o the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, N.E.R. Guwahati

अपने परिवार के किसी सदस्य के उपचार पर वास्तव में किए गए किसी व्यय के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15, 16 और 17 के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी के हाथों में एक अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाएगा/ The approval is applicable only in relation to any sum paid by an employer, in respect of any expenditure actually incurred by the employee on his medical treatment or treatment of any member of his family in the above mentioned hospital in respect of the following prescribed diseases or ailments as mentioned in Rule 3A(2) of the Income Tax Rules 1962, shall not be treated as a perquisite in the hands of the employee for the purposes of section 15, 16 & 17 of the Income Tax Act, 1961 as under :-

(a) आंख, कान, नाक या गला संबंधी व्याधि या रोग जिनमें सर्जिकल आपरेशन की आवश्यकता हो /Ailment or disease of the eye, ear, nose or throat, requiring surgical operation;

3. यह अनुमोदन किसी भी समय वापस लिया जा सकता है यदि यह पाया जाता है कि अनुमोदन धोखाधड़ी और/या तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्राप्त किया गया है या आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए के उप-नियम (1) में निर्धारित आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की गई हैं और अनुमोदन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में बाद में परिवर्तन के कारण आवश्यक होने पर संशोधन/वापसी के अधीन है / This approval is subject to withdrawal at any time if it is found that the approval has been obtained through fraud and/or misrepresentation of facts or necessary conditions as stipulated in sub-rule (1) of Rule 3A of the Income Tax Rule, 1962 are not fulfilled and is subject to modification/withdrawal, if necessitated by subsequent changes in the provisions governing the approval.

4. यह अनुमोदन केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड 2 के उपखंड (viii) के प्रावधान के खंड (ii) के उपखंड (बी) के प्रयोजन के लिए है और इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, एनईआर, गुवाहाटी या सरकार के तहत किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के अनुमोदन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए /The approval is only for the purpose of sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to [sub-clause (viii) of] clause 2 section 17 of the Income Tax Act, 1961 and should not be construed as approval of the central Government or the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati or any other statutory authority under the Government, for any other purpose.

5. यह अनुमोदन 29.07.2025 से प्रभावी होगा और 28.07.2027 तक लागू रहेगा। यह अनुमोदन अस्पताल द्वारा नियम 3ए(1) के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक शर्तों के निरंतर अनुपालन और आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमोदन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में किसी भी संशोधन के कारण आवश्यक संशोधनों के अधीन है/ This approval **takes effect from 29.07.2025 and shall remain in force till 28.07.2027**. This approval is subject to the hospital's continued compliance with the statutory conditions under Rule 3A(1) necessary for such approval and such modifications as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under Income Tax Act, 1961.

6. अनुमोदन का यह आदेश निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है / This order of the approval is subject to the following terms and conditions:

a) यह अनुमोदन हस्तांतरणीय नहीं है और यह केवल इस आदेश के पैरा संख्या 1 में उल्लिखित अस्पताल के अधीनस्थ परिसर पर लागू होता है / This approval is not transferable and is applicable only to the premises occupied by the hospital as mentioned in para 1 of this order.

b) अस्पताल आयकर विभाग के ऐसे अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए सभी उचित समय पर खुला रहेगा जो इस संबंध में विधिवत अधिकृत हैं /The hospital shall at all reasonable times be open for inspection by such officer of the Income Tax Department as are duly authorized in this behalf.

c) अस्पताल ऐसी शर्तों के अनुरूप होगा जो आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए (1) और 3ए (2) में निर्धारित हैं। यदि अस्पताल कानून द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो यह अस्पताल की ओर से अनिवार्य है कि वह इस अनुमोदन को जारी करने वाले प्राधिकारी को तुरंत इस तरह के तथ्य से अवगत कराए/The hospital shall conform to such conditions as are prescribed in Rule 3A (1) & 3A(2) of the Income Tax Rules, 1962. In the event the hospital ceases to satisfy any of the conditions prescribed by law, it will be mandatory on the part of the Hospital to intimate such fact immediately the authority issuing this approval.

d) वर्तमान अनुमोदन के समाप्ति से कम से कम 60 दिन पहले अनुमोदन के नवीकरण से संबन्धित आवेदन जमा किया जाना अनिवार्य है/The application for renewal of approval should be submitted at least sixty (60) days before the expiry of current approval.

7. The DIN intimation is enclosed with the letter.

O/o the Pr. Chief Commissioner of Income Tax N.E.R. Guwahati

Sd/-

(सुरभि वर्मा गर्ग/Surabhi Varma Garg)
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाट
Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati.

Momo No: A-11/Pt.216/Pr.CCIT(NER)/Ghy/Tech/2025-26/16556-95 Dated : 26-11-2025
Copy for information:

1. All the Principal Chief Commissioners of Income Tax of India.
2. All the Chief Commissioners of Income Tax of India
3. The Director General (Inv.), WB & Sikkim and NER
4. The Principal Commissioners of Income Tax, Guwahati/ Shillong
5. The DD(OL) for Hindi Version.
6. The Commissioner of Income Tax, TDS, Guwahati, with the request to upload the copy of the order to the TRACES portal.

(सुमितपुरकायस्थ/ Sumit Purkayastha)
आयकरउपआयुक्त (तकनीकी) / Deputy Commissioner of Income Tax (Tech)
कृतेप्रधानमुख्यआयकरआयुक्त,पूर्वोत्तरक्षेत्र,गुवाहटी
For Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati.

आयकर आयुक्त, टी.डी.एस. RECEIVED S... 1333 26 NOV 2025 Commissioner of Income Tax, TDS गुवाहाटी/Guwahati

भारतसरकार: वित्तमंत्रालय: राजस्वविभाग

GOVERNMENT OF INDIA: MINISTRY OF FINANCE : DEPARTMENT OF REVENUE

प्रधानमुख्यआयकरआयुक्त, पूर्वोत्तरक्षेत्र, गुवाहाटीकाकार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, NER, GUWAHATI

द्वीतल, आयकरभवन, क्रिश्चियनबस्ती, जी.एस. रोड, गुवाहाटी– ७८१००५

2ND FLOOR, AAYAKAR BHAWAN, CHRISTIANBASTI, G.S. ROAD, GUWAHATI – 781 005

TELEPHONE: 0361-2320112, Fax: 0361-2345118, 0361-2347596

e-mail: guwahati.dcit.tech.pccit@incometax.gov.in

फाइल सं. A-11/Pt.220/Pr.CCIT(NER)/Ghy/Tech/2025-26/16596-630 दिनांक- 26.11.2025

सेवा में,

भारत के सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
भारत के सभी मुख्य आयकर आयुक्त
मुख्य आयकर आयुक्त, शिलांग
पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी प्रधान आयकर आयुक्त

आदरणीय महोदया/महोदय,

विषय: **" मेसर्स नेमकेयर हॉस्पिटल, तेजपुर प्राइवेट लिमिटेड (पैन:AAFCN2839J)", रानू सिंह रोड, पी.ओ.- तेजपुर, जिला-सोनितपुर, असम- 784001 के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)] के परंतुक के खंड (ii) के उप खंड (बी) के तहत पंजीकरण के नवीकरण के लिए अनुमोदन – के सूचनार्थ – के संबंध में –**

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ लें।

सूचित किया जाता है कि **" मेसर्स नेमकेयर हॉस्पिटल, तेजपुर प्राइवेट लिमिटेड", रानू सिंह रोड, पी.ओ.- तेजपुर, जिला-सोनितपुर, असम- 784001 (पैन:AAFCN2839J)** के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)]के परंतुक के खंड (ii) के उप-खंड (बी) के तहत पंजीकरण के लिए अनुमोदन 09/08/2025 से प्रभावी है और 08/08/2027 तक प्रभावी रहेगा। यह अनुमोदन इस तरह के अनुमोदन और ऐसे संशोधनों के लिए आवश्यक नियम 3ए (1) के तहत वैधानिक शर्तों के अस्पताल के निरंतर अनुपालन के अधीन है। इसकी एक प्रति आप के सूचनार्थ हेतु संलग्न कि जा रही है।

भवदीय

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(सुमित पुरकायस्थ)
आयकर उप आयुक्त (तकनीकी)
कृते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र,
गुवाहाटी

आ. अधि. (मुख्या.)/ITO, (HQR)
आ. अधि (तकनीकी) /ITO, (Tech)
निजी सचीव /P.S.
प्र. अधिकारी /A.O.
कार्य अधीक्षक /O.S.
आयकर निरीक्षक /IIT
वरिष्ठ कर सहायक/कर सहायक/STA/TA
आशुलिपिक /Stenographer
आवश्यक कार्यवाही करें

21

मेमो नंबर: . A-11/Pt.220/Pr.CCIT(NER)/Ghy/Tech/2024-25/1663। दिनांक- 26.11.2025

प्रतिलिपि:

आयकर आयुक्त (टीडीएस), एनईआर, गुवाहाटी को इस अनुरोध के साथ प्रति भेजी जा रही है कि कृपया आदेश की प्रति ट्रेसेज़ पोर्टल पर अपलोड करें।

(सुमित पुरकायस्थ)
आयकर उप आयुक्त (तकनीकी)
कृते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र,
गुवाहाटी

22

भारतसरकार: वित्तमंत्रालय: राजस्वविभाग

GOVERNMENT OF INDIA : MINISTRY OF FINANCE : DEPARTMENT OF REVENUE

प्रधानमुख्यआयकरआयुक्त, पूर्वोत्तरक्षेत्र, गुवाहाटीकाकार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, NER, GUWAHATI

द्वीतल, आयकरभवन, क्रिश्चियनबस्ती, जी.एस. रोड, गुवाहाटी– ७८१००५

2ND FLOOR, AAYAKAR BHAWAN, CHRISTIANBASTI, G.S. ROAD, GUWAHATI – 781 005

TELEPHONE: 0361-2320112, Fax: 0361-2345118, 0361-2347596

e-mail: guwahati.dcit.tech.pccit@incometax.gov.in

DIN & Document No: ITBA/COM/M/17/2025-26/1083011569........ Date: 26.11.2025

सेवा में/To,

मेसर्स नेमकेयर हॉस्पिटल, तेजपुर प्राइवेट लिमिटेड (पैन:AAFCN2839J)
रानू सिंह रोड, पी.ओ.- तेजपुर, जिला-सोनितपुर, असम- 784001
M/s Nemcare Hospital, Tezpur Pvt. Ltd(PAN:AAFCN2839J)
Ranu Singh Road, P.O- Tezpur, Dist-Sonitpur, Assam- 784001.

विषय/Sub: – "आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के उप-खंड (viii) के प्रावधान के खंड (ii) के उप-खंड (बी) के प्रयोजन के लिए अस्पताल के पंजीकरण के नवीकरण के लिए अनुमोदन "मेसर्स नेमकेयर अस्पताल, तेजपुर प्राइवेट लिमिटेड (**PAN:AAFCN2839J**), रानू सिंह रोड, पी.ओ- तेजपुर, जिला-सोनितपुर, असम- 784001- के मामले में।./Approval for renewal of registration of hospital for the purpose of sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-clause(viii) of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961 in the case of "M/s Nemcare Hospital, Tezpur Pvt. Ltd(PAN:AAFCN2839J), Ranu Singh Road, P.O- Tezpur, Dist-Sonitpur, Assam- 784001- reg.

आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(2) के अधीन आदेश

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (viii) के प्रावधान के खंड (ii) के उपखंड (बी) के तहत प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, एक अस्पताल को अनुमोदन प्रदान करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए(1) और 3ए(2) में निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आयकर अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (viii) के प्रावधान के खंड (ii) के उक्त उपखड (बी) के प्रयोजनों के लिए "मेसर्स नेमकेयर अस्पताल, तेजपुर प्राइवेट लिमिटेड (PAN:AAFCN2839J), रानू सिंह रोड, पी.ओ- तेजपुर, जिला-सोनितपुर, असम- 784001 को अनुमोदन प्रदान करता हूँ/ In exercise of the powers conferred on the Principal Chief Commissioner of Income Tax under sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to [sub-clause (viii) of] of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961, I, the Principal Chief Commissioner of Income Tax, North Eastern Region hereby having regard to the guidelines prescribed in Rule 3A(1) & 3A(2) of the Income Tax Rules, 1962 for the grant of approval to a hospital, grant approval to "M/s Nemcare Hospital, Tezpur Pvt. Ltd(PAN:AAFCN2839J), Ranu Singh Road, P.O- Tezpur, Dist-Sonitpur, Assam- 784001 for the purposes of the said sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to [sub-clause (viii) of] the clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961.

O/o the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, N.E.R. Guwahati

2. यह अनुमोदन केवल नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई किसी राशि के संबंध में लागू है, आयकर नियम 1962 के नियम 3ए(2) में उल्लिखित निम्नलिखित निर्धारित बीमारियों या व्याधियों के संबंध में कर्मचारी द्वारा अपने चिकित्सा उपचार या अपने परिवार के किसी सदस्य के उपचार पर वास्तव में किए गए किसी व्यय के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15, 16 और 17 के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी के हाथों में एक अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाएगा/ The approval is applicable only in relation to any sum paid by an employer, in respect of any expenditure actually incurred by the employee on his medical treatment or treatment of any member of his family in the above mentioned hospital in respect of the following prescribed diseases or ailments as mentioned in Rule 3A(2) of the Income Tax Rules 1962, shall not be treated as a perquisite in the hands of the employee for the purposes of section 15, 16 & 17 of the Income Tax Act, 1961 as under :-

(a) यक्ष्मा/Tuberculosis
(b) हृदय, रक्त, लसीका ग्रंथिका, अस्थिमज्जा, श्वसन प्रणाली, स्नायु संबंधी प्रणाली, मूत्र प्रणाली, यकृत, पित्ताशय, पाचक प्रणाली, अंत:स्रावी ग्रंथिका या त्वचा संबंधी रोग या व्याधि, जिनमें सर्जिकल आपरेशन की आवश्यकता हो / disease or ailment of the heart, blood, lymph glands, bone marrow, respiratory system, central nervous system, urinary system, liver, gall bladder, digestive system, endocrine glands or the skin, requiring surgical operation;
(c) आंख, कान, नाक या गला संबंधी व्याधि या रोग जिनमें सर्जिकल आपरेशन की आवश्यकता हो /Ailment or disease of the eye, ear, nose or throat, requiring surgical operation;
(d) अस्थिपंजर प्रणाली के किसी भाग में फ्रैक्चर या मेरुदंड की गड़बड़ी जिसके लिए सर्जिकल आपरेशन या आर्थोपेडिक्स उपचार की आवश्यकता हो / Fracture in any part of the skeletal system or dislocation of vertebrae requiring surgical operation or orthopedic treatment;
(e) स्त्री संबंधी या प्रसूति संबंधी व्याधि या रोग, जिनके लिए सर्जिकल आपरेशन, सीजिरियन आपरेशन या लेपरोस्कोपिक इंटरवेंशन की आवश्यकता हो/ Gynecological or obstetric ailment or disease requiring surgical operation, caesarean operation or laparoscopic intervention;
(f) ऊपर (*b*) में वर्णित आर्गन्स संबंधी व्याधि या रोग जिसमें कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो / Ailment or disease of the organs mentioned at (b), requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
(g) स्त्री रोग या प्रासविक रोग या व्याधि जिसमें कम-से-कम तीन लगातार दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो / Gynecological or obstetric ailment or disease requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.

(h) एनाफ़ाइलेक्टिक शाक्स, जिनमें इन्स्युलिन शाक्य, औषधि प्रतिघात और अन्य एलर्जिक संकेत भी हैं, जिनमें कम से कम लगातार तीन दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो/ Anaphylactic shocks including insulin shocks, drug reactions and other allergic manifestations requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.

3. यह अनुमोदन किसी भी समय वापस लिया जा सकता है यदि यह पाया जाता है कि अनुमोदन धोखाधड़ी और/या तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्राप्त किया गया है या आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए के उप-नियम (1) में निर्धारित आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की गई हैं और अनुमोदन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में बाद में परिवर्तन के कारण आवश्यक होने पर संशोधन/वापसी के अधीन है / This approval is subject to withdrawal at any time if it is found that the

Commissioner of Income Tax

approval has been obtained through fraud and/or misrepresentation of facts or necessary conditions as stipulated in sub-rule (1) of Rule 3A of the Income Tax Rule, 1962 are not fulfilled and is subject to modification/withdrawal, if necessitated by subsequent changes in the provisions governing the approval.

4. यह अनुमोदन केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड 2 के उपखंड (viii) के प्रावधान के खंड (ii) के उपखंड (बी) के प्रयोजन के लिए है और इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, एनईआर, गुवाहाटी या सरकार के तहत किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के अनुमोदन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए /The approval is only for the purpose of sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to [sub-clause (viii) of] clause 2 section 17 of the Income Tax Act, 1961 and should not be construed as approval of the central Government or the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati or any other statutory authority under the Government, for any other purpose.

5. यह अनुमोदन 09.08.2025 से प्रभावी होगा और 08.08.2027 तक लागू रहेगा। यह अनुमोदन अस्पताल द्वारा नियम 3ए(1) के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक शर्तों का निरंतर अनुपालन और आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमोदन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में किसी भी संशोधन के कारण आवश्यक संशोधनों के अधीन है/ This approval **takes effect from 09.08.2025 and shall remain in force till 08.08.2027**. This approval is subject to the hospital's continued compliance with the statutory conditions under Rule 3A(1) necessary for such approval and such modifications as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under Income Tax Act, 1961.

6. अनुमोदन का यह आदेश निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है / This order of the approval is subject to the following terms and conditions:

a) यह अनुमोदन हस्तांतरणीय नहीं है और यह केवल इस आदेश के पैरा संख्या 1 में उल्लिखित अस्पताल के अधीनस्थ परिसर पर लागू होता है / This approval is not transferable and is applicable only to the premises occupied by the hospital as mentioned in para 1 of this order.

b) अस्पताल आयकर विभाग के ऐसे अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए सभी उचित समय पर खुला रहेगा जो इस संबंध में विधिवत अधिकृत हैं /The hospital shall at all reasonable times be open for inspection by such officer of the Income Tax Department as are duly authorized in this behalf.

c) अस्पताल ऐसी शर्तों के अनुरूप होगा जो आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए (1) और 3ए (2) में निर्धारित हैं। यदि अस्पताल कानून द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो यह अस्पताल की ओर से अनिवार्य है कि वह इस अनुमोदन को जारी करने वाले प्राधिकारी को तुरंत इस तरह के तथ्य से अवगत कराए/The hospital shall conform to such conditions as are prescribed in Rule 3A (1) & 3A(2) of the Income Tax Rules, 1962. In the event the hospital ceases to satisfy any of the conditions prescribed by law, it will be mandatory on the part of the Hospital to intimate such fact immediately the authority issuing this approval.

O/o the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, N.E.R. Guwahati

d) वर्तमान अनुमोदन के समाप्ति से कम से कम 60 दिन पहले अनुमोदन के नवीकरण से संबन्धित आवेदन जमा किया जाना अनिवार्य है/The application for renewal of approval should be submitted at least sixty (60) days before the expiry of current approval.

7. The DIN Intimation is enclosed with the letter.

O/o the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, N.E.R. Guwahali / प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र का कार्यालय

Sd/-

(सुरभि वर्मा गर्ग/Surabhi Varma Garg)
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी
Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER,
Guwahati.

Momo No: A-11/Pt.220/Pr.CCIT(NER)/Ghy/Tech/2025-26/16632-671 Dated : 26.11.2025
Copy for information:

1. All the Principal Chief Commissioners of Income Tax of India.
2. All the Chief Commissioners of Income Tax of India
3. The Director General (Inv.), WB & Sikkim and NER
4. The Principal Commissioners of Income Tax, Guwahati/ Shillong
5. The DD(OL) for Hindi Version.
6. The Commissioner of Income Tax, TDS, Guwahati, with the request to upload the copy of the order to the TRACES portal.

(सुमितपुरकायस्थ/ Sumit Purkayastha)
आयकरउपआयुक्त (तकनीकी) / Deputy Commissioner of Income Tax (Tech)
कृतेप्रधानमुख्यआयकरआयुक्त,पूर्वोत्तरक्षेत्र,गुवाहटी
For Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati.